न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–117/2024

प्रदीप कुमार मिश्रा..मुदई

बनाम

बिहार सरकार एवं अन्य...मुदालहम

DATE	ORDER	REMARKS
04.07.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। मुदालहम सं0–05 की तरफ से एक आवेदन दिनांक 20.06.2025 को दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 04.07.2025 को आदेश हेतु नियत है। मुदालहम सं0–05 के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद में मुदालहम सं0–05 दिनांक 25.10.2024 को हाजिर हुए, लेकिन कुछ कागजात के अभाव में अपना ब्यान तहरीरी तैयार नहीं कर सकें। लेहाजा, समय पर ब्यान तहरीरी दाखिल नहीं हो पाया तथा संबंधित अधिवक्ता लिपिक के द्वारा यह नहीं बताया गया कि कितना दिन पर जबाब दाखिल करना है। लेहाजा, न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक 17.02.2025 को ब्यान तहरीरी दाखिल करने से वंचित कर दिया गया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आदेश दिनांक 17.02.2025 को वापस लेते हुए मुदालह सं0–05 का ब्यान तहरीरी अभिलेख पर स्वीकार करने की कृपा प्रदान की जाए। इसके लिए मुदालह सं0–05 श्रीमान् का सदा आभारी रहेगा। मुदई की ओर से कोई प्रत्युतर नहीं दिया गया लेकिन मुदालह सं0–05 के आवेदन दिनांक 20.06.2025 का मौखिक विरोध किया गया एवं मुदालह सं0–05 का आवेदन खारिज होने योग्य बताया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया तथा अभिलेख अवलोकन से विदित होता है मुदालह सं0–05 की ओर से एक आवेदन दिनांक 20.06.2025 को दाखिल किया गया है तथा निवेदन किया गया है कि न्यायालय आदेश दिनांक 17.02.2025 को वापस लेते हुए मुदालह सं0–05 का ब्यान तहरीरी स्वीकार करने हेतु लाया गया है।	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–117/2024

प्रदीप कुमार मिश्रा...मुदई

बनाम

बिहार सरकार एवं अन्य..मुदालहम

लगातार 04.07.2025	विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी पक्षों को सुना जाना चाहिए, जिससे वाद का निपटारा उचित ढंग से किया जा सकें और वाद की बहुलता को रोका जा सकें। अतः न्यायहित में न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 को वापस लेते हुए मुदालह सं0–05 का आवेदन दिनांक 20.06.2025 को मो0– 1000/– के हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वाद दिनांक 19.08.2025 को अग्रीम कार्रवाई वास्ते नियत किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	